

पत्रसंख्या-सी0सी0टी0 / निरी0अनु0 / (2018-19) / 1399 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(निरीक्षण अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक:: 27, दिसम्बर, 2018

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,  
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

नवम्बर माह 2018 में Boweb Portal पर प्राप्त सभी जोन्स की रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग का डाटा एनालिसिस करने पर पाया गया कि डीमड रजिस्ट्रेशन का प्रतिशत तथा पेडिंग न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रतिशत काफी अधिक है जिस पर कमिश्नर महोदया द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गयी है।

डाटा एनालिसिस द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह पाया गया कि नवम्बर माह में प्रदेश का डीमड एप्रूव्ड परसेन्टेज 20.4 प्रतिशत है। ये ऐसे मामले हैं जिनमें अधिकारी के बिना हस्तक्षेप किये डीलर को रजिस्ट्रेशन तीन दिन बाद सिस्टम द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार नये रजिस्ट्रेशन का पेडिंग प्रतिशत भी प्रत्येक जोन में काफी अधिक है जो चिंता का विषय है।

अतः इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि अब तक अपलोडेड पंजीयन प्रार्थना-पत्रों की जाँच व पंजीयन देने का कार्य दिनांक 31.12.2018 तक पूर्ण करा लिया जाए तथा आगे आने वाले समस्त पंजीयन प्रार्थना पत्रों की जाँच व पंजीयन देने की कार्यवाही तत्परतापूर्वक परिपत्र संख्या-1080/1819063 दिनांक 14.11.2018 में दिये गये निर्देशानुसार सुनिश्चित कराई जाए।

यह पत्र कमिश्नर महोदया के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

  
(अजीत कुमार शुक्ला)

एडीशनल कमिश्नर, (विधि) वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।